गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक :– 161 /प्रवर्तन जोन–8/2019 दिनांक 14/6/19

परिशिष्ट–6 प्रपत्र 'ब'/भाग–द

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं आंशिक पूर्णता प्रमाण–पत्र

(आवेदन पत्र परिशिष्ट–6–प्रपत्र 'ब' भाग–अ, ब, स की फोटोकॉपी साथ में संलग्न है।)

खसरा संख्या–376, 377, 378 ग्राम सिकन्दरपुर एवं खसरा संख्या–293, 342 से 360, 462, 493, 494 व 495 ग्राम पसौंडा पर ग्रुप हाउसिंग भवन हेतु मै0 एम0आर0 प्रोव्यू रियलटेक प्रा0लि0 का मानचित्र संख्या–660/टी0एच0ए0/जोन–8/2010–11 स्वीकृत है एवं स्वीकृति से किया गया अतिरिक्त निर्माण शमनित है, जिसके कम में 6–ब्लॉक (कदम ए, ईवोनी ए, ईवोनी बी, एवं कोरल ए, कोरल बी, व सेन्डल ए) का आंशिक सम्पूर्ति प्रमाण पत्र उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदन उपरान्त दिनांक 08.02.2016 को निर्गत किया गया। उक्त ग्रुप हाउसिंग के अन्तर्गत निर्मित 4 ब्लॉक (कदम बी, सेन्डल बी, सिल्वर वेल, व ब्लॉक–1) के लिए आवेदक/विकासकर्ता द्वारा वर्तमान में आंशिक सम्पूर्ति प्रमाण पत्र हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्रों एवं अन्य अभिलेख संलग्न कर निर्धारित प्रारूप पर दिये गये आवेदन/प्रमाण–पत्रों का परीक्षण खण्डीय अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है एवं विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सही पाये जाने पर आंशिक पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी करने की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदया द्वारा दिनांक 14.06.2019 को प्रदान की गई है।

अतः उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–15क(2) के अन्तर्गत आंशिक पूर्णता प्रमाण–पत्र पृष्ठ भाग पर उल्लेखित शर्तो/प्रतिबन्धों क्रम संख्या–1 से 16 के अधीन जारी किया जाता है।

14/6/19

अधिशासी अभियन्ता
प्रभारी प्रवर्तन जोन–8

Scanned by CamScanner

शर्ते / प्रतिबन्धः–

1. स्थल पर स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप समस्त निर्माण/विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सम्पूर्ण ग्रुप हाउसिंग का सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
2. अग्निशमन विभाग, पर्यावरण विभाग, एयर पोर्ट अथॉरिटी तथा अन्य विभागों द्वारा दिये गये सुझावों व निर्देशों, अग्निशमन व्यवस्था को सदैव स्थल पर कार्यशील एवं इसकी सुरक्षा सम्बन्धी जांच समय–2 पर शर्तों के अनुसार अग्निशमन विभाग से कराना होगा, तथा पुनः सम्पूर्ण परिसर सहित अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, तथा नियमानुसार प्रत्येक वर्ष जांच एवं कियाशील रखने की जिम्मेदारी विकासकर्ता एवं उ0प्र0 अपार्टमेन्ट एक्ट के अधीन ए0ओ0ए0 गठन होने के उपरान्त ए0ओ0ए0 की होगी।
3. भवन की संरचना, सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी वास्तुविद/सुपरविजन करने वाले इंजीनियर/स्ट्रक्चरल इंजीनियर एवं विकासकर्ता की होगी।
4. स्थल पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को सदैव कियाशील रखने की जिम्मेदारी विकासकर्ता एवं उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट एक्ट के अधीन ए0ओ0ए0 गठन होने के उपरान्त ए0ओ0ए0 की होगी।
5. सॉलिड वेस्ट निस्तारण संयन्त्र को सदैव कियाशील रखने की जिम्मेदारी विकासकर्ता एवं उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट एक्ट के अधीन ए0ओ0ए0 गठन होने के उपरान्त ए0ओ0ए0 की होगी।
6. उ0प्र0 अपार्टमेन्ट एक्ट में दिये गये प्राविधानों के अधीन ए0ओ0ए0 के गठन के उपरान्त भवन/अवस्थापना सुविधाओं को अपार्टमेन्ट ओनर्स एसोसिएशन को हस्तान्तरण करने तक भवन का रख–रखाव एवं अवस्थापना सुविधाओं को कियाशील रखने की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
7. उ0प्र0 अपार्टमेन्ट एक्ट में दिये गये प्राविधानों का अनुपालन विकासकर्ता एवं अपार्टमेन्ट ओनर्स एसोसिएशन को करना होगा।
8. भू–स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होता है तो आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त मान्य होगा।
9. वृक्ष/ग्रीन एवं आन्तरिक विकास कार्यो के रख–रखाव की जिम्मेदारी विकासकर्ता एवं उ0प्र0 अपार्टमेन्ट एक्ट के अधीन ए0ओ0ए0 के गठन होने के उपरान्त ए0ओ0ए0 की होगी।
10. सन्दर्भित ग्रुप हाउसिंग रेरा में पंजीकृत है। अतः रेरा के प्राविधान एवं निर्देशों का अनुपालन करना होगा।
11. लिफ्ट के सम्बन्ध में निदेशक विद्युत सुरक्षा की अनापत्ति में उल्लिखित शर्त का अनुपालन तथा शर्तों के अनुसार जांच एवं कियाशील रखने की जिम्मेदारी विकासकर्ता एवं उ0प्र0 अपार्टमेन्ट एक्ट में के अधीन ए0ओ0ए0 गठन होने के उपरान्त ए0ओ0ए0 की होगी।
12. विद्युत सुरक्षा सम्बन्धी एवं डी0जी0 सेट अधिष्ठान सम्बन्धी निर्गत अनापत्ति पत्र में उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन विकासकर्ता एवं उ0प्र0 अपार्टमेन्ट एक्ट के अधीन ए0ओ0ए0 के गठन होने के उपरान्त ए0ओ0ए0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
13. एल0आई0जी0 व ई0डब्लू0एस0 भवनों की प्रगति बढ़ाकर शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा।
14. सम्पूर्ण ग्रुप हाउसिंग का सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पूर्व लेबर सेस की समस्त देयता जमा कराकर श्रम विभाग का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।
15. भवन में कोई परिवर्तन/परिवर्धन किया जाता है तो दी गयी स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
16. उपरोक्त शर्तों के साथ–साथ पूर्व स्वीकृत मानचित्र, शमन मानचित्र, विकय अभिलेख एवं अन्य विभागों/अनुभागों से प्राप्त अनापत्ति तथा प्रस्तुत शपथ पत्र की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा की स्थिति में जारी आंशिक सम्पूर्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त मान्य होगा।

R.K. 14-06-19 | 14.6.19 | 14/6/19

अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता | AE | प्रभारी, प्रवर्तन जोन–8

Scanned by CamScanner